

Case No.

652/17 of 20

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
09-12-17	<p>प्रकरण नेशनल लोक अदालत दिनांक 09.12.17 में पेश। राज्य द्वारा एडीपीओ। अभियुक्तगण सहित अधिवक्ता श्री केशवसिंह गुर्जर। फरियादी शिवराज, करनसिंह व रनवीर उपस्थित। प्रकरण आरोप तर्क हेतु नियत है।</p> <p>फरियादी एवं आहतगण की ओर से राजीनामा हेतु अनुमति आवेदन पत्र मय लोक अदालत डोंकेट हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया गया। फरियादी एवं आहतगण की पहचान अधिवक्ता श्री बी०एस० यादव एवं अभियुक्तगण की पहचान अधिवक्ता श्री केशवसिंह गुर्जर ने की।</p> <p>उभयपक्षों को सुना। प्रकरण का अवलोकन किया।</p> <p>फरियादी एवं आहतगण ने अभियुक्तगण से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोभ-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है।</p> <p>अभियुक्तगण पर भादवि० की धारा 294, 323, 506, 34 के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। उक्त धारा का आरोप न्यायालय की अनुमति से फरियादी एवं आहतगण द्वारा शमनीय है। पीठ सदस्यगण द्वारा प्रकरण में राजीनामा स्वीकार किए जाने की अनुशंसा की गयी। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के अपराधिक प्रशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।</p> <p>अतः राजीनामा बाद तर्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण को धारा 294, 323, 506, 34 भा०द०वि० के अपराध आरोप से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्तगण की दोषमुक्ति होगा। अभियुक्तगण के प्रतिभूति व बधपत्र भारमुक्त किए जाते हैं।</p> <p>प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे। आदेश की प्रति पक्षकारों को निःशुल्क प्रदाय की जावे। प्रकरण का परिणाम सुसंगत पंजी में दर्जकर अभिलेखागार भेजा जावे।</p>	<p>शिवराज</p> <p>रनवीर</p> <p>गुर्जर</p> <p>भादवि०</p> <p>नरेश</p> <p>विमल</p> <p>पीठासीन अधिकारी</p> <p>माथिक मजिस्ट्रेट</p> <p>नियम पत्र</p>